

राजस्व लोक अदालत केम्प लीहवाडा
मुकदमा नम्बर ५५/१८
वादी- १५५१८

श्रीताना राम पुष्प राम चन्द

बनाम तहसीलदार किशनगढ रैनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा ४४,४९

निर्णय

उपरोक्त उच्चवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम लीहवाडा पटवार हल्का फुलवाडा तहसील किशनगढ
के आराजी खसरा नम्बर २७२/१५५२५९ १६.०३ बीघा

में वादी का नाम व विवरण श्रीताना राम पुष्प राम चन्द

के स्थान पर

श्रीताना राम पुष्प राम चन्द

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

अतः वादा का वाद डिकी किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
श्रीतान पुत्र रामचन्द्र पत्नी श्रीमती लक्ष्मीपुर देववाता र. 143 ख. नं. 272/144 रकबा 16 बीघा	श्रीतान राम पुत्र रामचन्द्र-2 पत्नी श्रीमती लक्ष्मीपुर देववाता र. 143 ख. नं. 272/144 रकबा 16 बीघा

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार कि० देववाता
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावे।



[Signature]
सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official